

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

कोटपूतली 040 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 की नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री राजेन्द्र सिंह यादव, 132, जाटों का कुआ, ग्राम खेड़की वीरभान, तह-कोटपूतली (जयपुर) जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जयपुर।

दिनांक:- 11-12-2018

(ज्योति सिंघा)
रिटर्निंग ऑफिसर
एसओ डी०एम० कोटपूतली 040
सुपखण्ड अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली (040)

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and order)

FORM 21C
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the Peoples Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from **Kotputli (040)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the Peoples Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

SHRI. RAJENDRA SINGH YADAV Of VILLAGE 132,JATON KA KUAN VPO-KHEDKI VEERBHAN TEH-KOTPUTLI,JAIPUR sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in the House from the above constituency.

Place :- Jaipur

Date :-11-12-2018

(Jyoti Meena)

Returning Officer

उपखण्ड अधि SDM, Kotputli 040 कोटपूतली
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली (040)